

<p>भारतसरकार कर्मचारीचयनआयोग (मध्य प्रदेश क्षेत्र) कार्मिकलोकशिकायत एवंपेंशनमंत्रालय 5वां तल, निवेशभवन, एलआईसी परिसर-2 पंडरी, रायपुर (छ.ग.)-492004</p>	<p>Government of India STAFF SELECTION COMMISSION (MPR) M/o-Personnel, Public Grievances & Pensions 5th Floor, Investment Building, LIC Campus-2, Pandri, Raipur (C.G.)-492 004 Phone-2960440/41/42</p>
--	--

विशेष सूचना- संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2023, दक्षता परीक्षण (DEST) में छूट के संबंध में।

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2023 के भर्ती के नोटिस के पैरा 13.8.11.6 के अनुसार, सीबीडीटी में कर सहायक के पद के लिए दक्षता परीक्षण (DEST) से छूट चाहने वाले ओएच (OH) अभ्यर्थी दक्षता परीक्षण से छूट के पात्र हैं, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात् स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान के सिविल सर्जन से हस्ताक्षरित निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र दिनांक 20.10.2023 तक इस क्षेत्रीय कार्यालय के ईमेल sscmprcgl2023@gmail.com में भेजें कि वे शारीरिक दिव्यांगता के कारण टंकण परीक्षा देने के लिए स्थाई रूप से अनफिट हैं। अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज (मूल और फोटोकॉपी) के साथ टियर-1 परीक्षा की तिथि में परीक्षा स्थल में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

- 1 सिविल सर्जन से कौशल परीक्षा (DEST) में उपस्थित होने से छूट प्राप्त करने के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र (अनुलग्नक XVI)। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/जारी प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा।
- 2 भर्ती सूचना के अनुसार विकलांगता का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक XII से XV), परीक्षा की सूचना के अनुसार, जो भी लागू हो।
- 3 कौशल परीक्षा (DEST) में उपस्थित होने से छूट प्राप्त करने के लिए अनुबंध के अनुसार वचनबद्धता।
- 4 परीक्षा केन्द्र पर प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को (DEST) में अनुपस्थित चिन्हित किया जाएगा।

2 हालाँकि, ऐसी छूट उन पदों के लिए उपलब्ध नहीं है जहाँ या तो कम्प्यूटर दक्षता निर्धारित है (जैसा कि पैरा 13.8.10 में उल्लिखित है) या जहाँ DEST निर्धारित है (जैसा कि पैरा 13.8.11.4 में उल्लिखित है) सीबीडीटी में कर सहायक के पद को छोड़कर, जिसके लिए DEST में सम्मिलित होने से छूट उपलब्ध है। अन्य सभी श्रेणी के PwD अभ्यर्थी DEST से छूट के पात्र नहीं हैं।

3 अभ्यर्थी को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 (टियर-1) की परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन (DV) के समय इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी इसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके पास किसी भी पद के लिए कोई दावा नहीं होगा।

अभ्यर्थी दक्षता परीक्षण में छूट के लिए आवेदन केवल sscmprcgl2023@gmail.com पर ही भेजें और टियर-1 (पेपर-1) के परीक्षा केन्द्र पर सभी दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी अवश्य प्रस्तुत करें। अन्य किसी ईमेल पर भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कर्मचारी चयन आयोग, रायपुर
दिनांक 17.10.2023

Important Notice: Candidate of Combined Graduate Level Examination, 2023 seeking exemption from appearing in Paper I (Session II- DEST).

As per para 13.8.11.6 of Recruitment Notice of CGLE 2023, OH candidates seeking exemption from DEST for the post of Tax Assistant in CBDT, are eligible for exemption from attempting DEST, provided such candidates submit the following documents/certificates issued by the competent Medical Authority, i.e., the Civil Surgeon of a Government Health Care Institution declaring him to be permanently unfit for the Typing Test because of a physical disability to this Regional Office of SSC on e-mail sscmprcgl2023@gmail.com only latest by **20.10.2023**. The candidates are also required to report at the venue of Tier-II examination on the date of their Paper-I along with the following documents for Verification (Original & Photocopies).

- (i) Medical Certificate (Annexure XVI) for seeking exemption from appearing in Skill Test (DEST) from Civil Surgeon. Certificate issued by any other authority will not be considered.
- (ii) Certificate of Disability as per Recruitment Notice (Annexure XIII to XV), whichever is applicable, as per Notice of Exam.
- (iii) Undertaking as per Annexure for seeking exemption from appearing in Skill Test (DEST)
- (iv) Candidate not appearing at the venue for verification of certificate will be marked ABSENT in DEST.

2. However, such exemption is not available for the posts where either Computer Proficiency is prescribed (as mentioned at Para 13.8.10) or where DEST is prescribed (as mentioned at Para 13.8.11.4) except for the post of the Tax Assistant in CBDT, for which exemption from attempting DEST is available. **All other category of PwD candidates is not eligible for exemption from DEST.**

3. **The candidates are required to produce all these documents in original at the time of Computer Based Test (CGL 2023 Tier-II) at Examination Center and Document Verification (DV).** If any candidate fails to produce the same, candidature of such candidates will be cancelled and they will have no claim against any posts.

Candidates should send their application for exemption in DEST with applicable certificate only on e-mail sscmprcgl2023@gmail.com. Also submit all the above documents at the Tier-II Examination venue on the date of Tier-II (Paper-I). Application sent to any other email Id will not be entertained.

SSC (MPR), Raipur
Dated 17.10.2023